

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015—फाल्गुन 1, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्र. एफ 35-97-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 20 फरवरी 2015 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (ऑपरेटिव) अनुसचिवीय, चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य कर्मी, नर्स—

- (1) राज्य के समस्त चिकित्सा, दंत, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पताल कर्मी जो,
- (2) प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्र. एफ. 35-97-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 20th February 2015

F. No. 35-97-2009-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 20th February, 2015 for a period of three months.

SCHEDULE

“Scientific, Technical, Executive, Operative, Ministerial, Medical and Health Narsh personnel connected with—

- (1) All the Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathic Colleges of the State and Hospitals attched thereto;
- (2) All the Government Hospital, Dispensaries, Health Centres, Health Education Institutions at all levels in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. V. SINGH, Dy. Secy.